प्रार्थना [illegible] [illegible] [illegible] नामजद [illegible] [illegible]
तामील करेगा।

[illegible]

3/8/13 पत्रावली तहसीलदार महोदय के आदेश [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] के [illegible] पेश हुई। तहसीलदार साहब ने अपनी
रिपोर्ट में बताया है कि [illegible] [illegible] [illegible]
रिपोर्ट के साथ [illegible] नक्शा नजरी के [illegible]
नम्बर 80 व 81 के पश्चिम [illegible] कमरा नम्बर 85 के
दक्षिण तरफ से 70 फीट चौड़ा रास्ता [illegible]
बताया गया है जिससे केवल कमरा नम्बर 85 के
तक [illegible] जाने से [illegible] [illegible] [illegible]
हुआ नहीं लगता है क्योंकि कमरा नम्बर 85 व
कमरा नम्बर 86 का [illegible] रास्ता लगा हुआ
कमरा नम्बर 85 ने पृथक रास्ता के बारे [illegible]
के स्थान को कमरा नम्बर 85 के दक्षिण की
[illegible] रास्ते के [illegible] के [illegible] कमरा
86 का भाग [illegible] कर [illegible] [illegible] कमरा नम्बर

उपायुक्त । निगरानी कोर्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आज उपखण्ड अधि. कोलारस शाखा जाब किकोलिकोड के हिसाब व कोलेक मेयौ ऐन प्रणाली के निर्णय का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 80.81 ... कमरा ... के प्रबंध मार्ग हेतु खसरा नम्बर 85 के दक्षिण तरफ से 30 फुट रास्ता दिया गया थी यद्यपि खसरा नम्बर 85 के बाद खसरा नम्बर 86 है जो मुख्य सड़क से लगा हुआ है उक्त न ही जाना था अतः आज खसरा 85 के बाद खसरा नम्बर 86 मे भी 30 फुट रास्ता ... रास्ता घोषित किया जाता है जिसकी भी नि... बाजार दर से कीमत निर्धारित कर खातेदार ... भुगतान की कार्यवाही की जावे। संशोधित ... जारी कर अभिलेख प्रणाली ... प्रणाली ... तहसील तामील उपरान्त दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां
मुकदमा नं0 01/2022
प्रकाशचन्द पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम विलोंद तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1—मनीराम पुत्र सामन्ता
2—राधे पुत्र सामन्ता
3—इन्द्रप्रकाश पुत्र कढेरा
4—फूलसिंह पुत्र खिल्लू
5—रमेश पुत्र गंगल
6—रामप्रसाद पुत्र तेजराम
7—संता देवी पत्नि रामजीलाल जाति जाटव निवासी विलोंद तहसील कामां
8—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए0 राज0काश्त0अधि0

निर्णय

दिनांक :— 28.12.2022

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे का खसरा नम्बर 80/0.50, 81/0.91,वाके ग्राम वासरा लड्डूका तहसील कामां में स्थित है । इसके पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 85/0.50 , 86/0.81 वाके ग्राम वासरा लडडूका तहसील कामां में स्थित है । अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 85, व 86 के लिये पूर्व में से सडक सरकारी से आने जाने का रास्ता है जबकि प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 80 व 81 के लिए कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी सडक सरकारी से अपनी आराजी तक पहुंचने के लिये 30फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है । उक्त 30 फुट चौडे रास्ता अप्रार्थी गण के खसरा नम्बर 85 व 86 में से ही निकल सकता है । प्रार्थी के पास अन्य कोई भी रास्ता अपनी आराजी तक जाने के लिये नहीं है । प्रार्थी ने दिनांक 21.12.2021 को अप्रार्थीगण से 30 फुट चौडा रास्ता देने बावत निवेदन किया तो साफ मना कर दिया है । जबकि प्रार्थी अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते की एवज में मुआवजा देने के लिए तैयार है ।

अतः निवेदन है कि खसरा नम्बर 80 व 81 में जाने के लिए अप्रार्थीगण अपने हिस्से के रकवे खसरा नम्बर 85 व 86 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण अपने हिस्से के रकवे खसरा नम्बर 85 व 86 मे से 30 फुट चौडे रास्ते का मुआवजा लेकर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से श्री वासुदेव अधिवक्ता उपस्थित आये । जबाव के लिए समय चाहा जो दिया गया, परन्तु दिनांक 16.03.2022 से दिनांक 12.12.2022 तक कोई जबाव नहीं किया । अन्तिम समय दिये जाने के बावजूद भी जबाव नहीं दिया गया । अतः दिनांक 12.12.2022 को जबाव बन्द किया गया । तथा पत्रावली बहस मे रखी गयी । दिनांक 19.12.2022 को गैरसायल ने बहस भी नहीं की । तहसीलदार कामां अप्रार्थी नं0 8 ने अपने पत्राक/राजस्व./2022/1243 दिनांक 8.

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर)

12.2022 द्वारा जबाव पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 80,81,82, 83, 84, 85, 86, का मौका देखा गया । खसरा नम्बर 80/0.50, 81/0.91 से सरकारी सडक तक पहुंच मार्ग से सम्बन्धित मौका देखा गया । जिसकी मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति इस प्रकार से है । आराजी खसरा नम्बर 80/0.50, 81/0.91 में प्रार्थी प्रकाशचन्द पुत्र हरचन्दी हि06/47 जाति जाटव निवासी विलोंद खातेदार दर्ज रिकार्ड है । खसरा नम्बर 80 के लगभग 0.48 हैक्टर पर प्रार्थी की पक्की वाउण्ड्री बनी हुई है । खसरा नम्बर 80 के उत्तरी पूर्वी छोर पर गेट लगा हुआ है । खसरा नम्बर 80 के दक्षिण में खसरा नम्बर 81 स्थित है जो कि मौके पर खाली है । खसरा नम्बर 80 के पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 85, 84 तथा 86 स्थित है। खसरा नम्बर 84 व 85 मौके पर खाली है। खसरा नम्बर 84/0.50 में मनीराम व राधे पिसरान सामन्ता व हिस्सा बराबर पूर्ण जाति जाटव निवासी बिलौंद खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नम्बर 84/0.45 पर जगदीश पुत्र झम्मन हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. बिलौंद खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 80 के पूर्व में खसरा नम्बर 84 व 85 के बाद खसरा नम्बर 86/0.81 है जो पक्की सड़क कामां बिलौंद से लगा हुआ है। खसरा नम्बर 86 में उत्तर से दक्षिण की तरफ कमशः निम्न हिस्सेदार है राधे पुत्र सामन्ता, रामप्रसाद पुत्र तेजराम, सतीश पुत्र हेतराम, रमेश पुत्र गंगल, इन्द्रपकाश पुत्र कढेरा, रंजीत पुत्र झण्डु व अन्य कब्जेदार हैं। रंजीत पुत्र झण्डु के बाद दक्षिण में पुराने पक्के निर्माण हैं। उपरोक्त में रमेश पुत्र गंगल जाति जाटव की पक्की बाउन्ड्री बनी हुई है व बाउन्ड्री के अन्दर भूसा-चारा भरने हेतु एक टीननुमा कमरा बना है। रंजीत पुत्र झण्डु के द्वारा भी पक्की बाउन्ड्री बनाई हुई है। इन्द्रप्रकश पुत्र कढेरा, राधे पुत्र सामन्ता, रामप्रसाद पुत्र तेजराम व सतीश पुत्र हेतुराम का हिस्सा मौके पर खाली है अर्थात निर्माण नहीं है। खसरा नम्बर 81 के दक्षिण हिस्से से पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 83 व 82 हैं जो सडक से लगे हैं मौके पर निर्माण नहीं हैं। खसरा नम्बर 80 व 81 से सरकारी सड़क तक मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। मौका का नजरी नक्शा तैयार किया है जो सलग्न है

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074-2077,नक्शा ट्रेस सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार एवं नजरी नक्शा के मुताबिक प्रार्थी को खातेदार खसरा नम्बर 80, 81 वाके वासरा लड्डूका पर पहुंच मार्ग के कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी के खसरा नम्बर 80,81 को पहुंच मार्ग के लिए खसरा नम्बर 85 के दक्षिण तरफ जो मौके पर खाली है उसमें से 30फुट रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नम्बर 80, 81 वाके ग्राम वासरा लड्डूका के पहुंच मार्ग हेतु खसरा नम्बर 85 के दक्षिण तरफ से 30 फुट रास्ता दिया जाकर आम रास्ता घोषित किया जाता है । तहसीलदार कामां मौके पर पहुंच खसरा नम्बर 85 में से जाने वाले क्षेत्र की गणना कर ग्राम वासरा लड्डूका की बाजार दर से कीमत निर्धारित कर आखनं0 85 के खातेदार को भुगतान की कार्यवाही करावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी